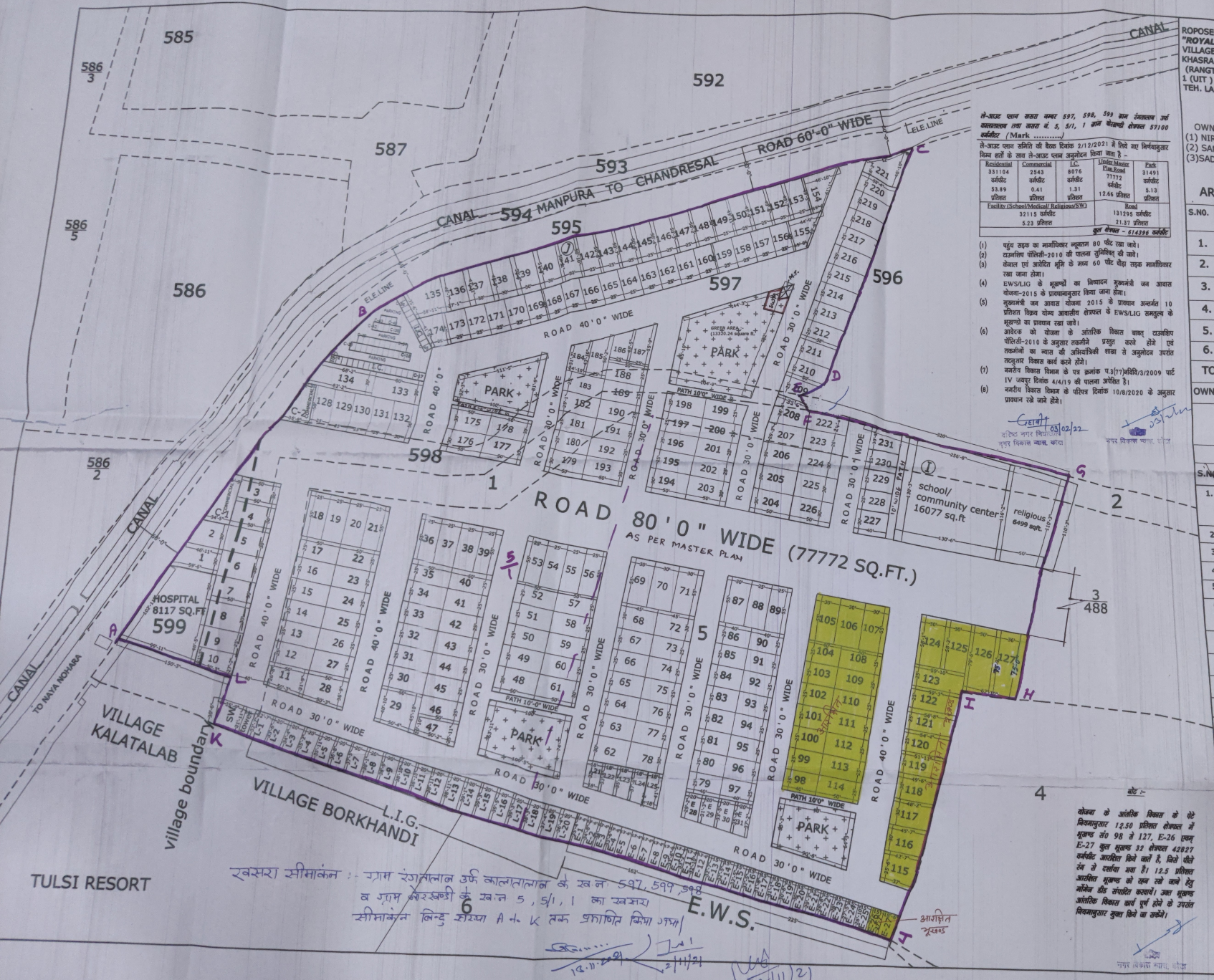

खसरा सीमांकन :- ग्राम रंगातालाब उर्फ कालातालाब के खा.नं. 597, 599, 598 व ग्राम बोरखण्डी के खा.नं. 5, 5/1, 1 का खसरा सीमांकन बिन्दु संख्या A to K तक प्रकाशित किया गया।

14.11.2021 2/11/21 2/11/21

ROPOSED LAY OUT PLAN OF RESIDENCIAL SCHEME
"ROYAL PRIME ",
VILLAGE :-RANG TALAB URF KALATALAB & BORKHANDI
KHASRA NO.:-597,598(UIT),599
(RANGTALAB URF KALATALAB
1 (UIT) , 5 (VILLAGE - BORKHANDI)
TEH. LADPURA , DIST. KOTA (RAJ.)

SCALE 1"= 60'

OWNER :-
(1) NIRMAL KUMAR S/O SH. NAMI CHAND
(2) SANTOS JAIN W/O SH. CHANDER PARKASH JAIN
(3)SADHANA JAIN W/O SH. NIRMAL JAIN

AREA DETAIL(KHASRA WISE)

S.NO.	KH.NO.	TOTAL AREA HECT	VILLAGE
1.	597	1.42	RANGTALAB URF KALATALAB
2.	599	0.10	RANGTALAB URF KALATALAB
3.	598	0.35	RANGTALAB URF KALATALAB govt
4.	5	2.12	BORKHANDI
5.	5/1	1.18	BORKHANDI
6.	1	0.54	BORKHANDI GOVT
TOTAL LAND		5.71	57100 sq.m.

OWNER LAND:-4.82 HECT+GPOVT 0.89 HECT=5.71 H.

57100 SQ. MT . 614396 SQ.FEET

LAND USE ANALYSIS

S.NO.	PARTICULAR	AREA SQ.F.	AREA %
1.	RESIDENCIAL AREA EWS LIG	297929.00 33175.00	53.89 %
2.	COMMERCIAL	2543.00	0.41 %
3.	I.C.	8076.00	1.31 %
4.	PARK	31491.00	5.13 %
5.	FACILITY	24194.00	3.94 %
6.	MASTRE PLAN ROAD	77772.00	12.66 %
7.	ROAD	131295.00	21.37 %
8.	RELIGIOUS	6499.00	1.06 %
9.	SW / TOWER	1422.00	0.23 %
	TOTAL AREA	614396	100.00 %

KHASRA LINE SHOWN THUS

ले-आउट प्लान खसरा नम्बर 597, 598, 599 ग्राम रंगातालाब उर्फ कालातालाब तथा खसरा नं. 5, 5/1, 1 ग्राम बोरखण्डी क्षेत्रफल 57100 वर्गमीटर /Mark ...../

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 2/12/2021 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

Residential	Commercial	I.C.	Under Master Plan Road	Park
331104 वर्गमीटर 53.89 प्रतिशत	2543 वर्गमीटर 0.41 प्रतिशत	8076 वर्गमीटर 1.31 प्रतिशत	77772 वर्गमीटर 12.66 प्रतिशत	31491 वर्गमीटर 5.13 प्रतिशत
Facility (School/Medical/ Religious/SW) 32115 वर्गमीटर 5.23 प्रतिशत			Road 131295 वर्गमीटर 21.37 प्रतिशत	

कुल क्षेत्रफल - 614396 वर्गमीटर

(1) पहुंच सड़क का मालिकाना न्यूनतम 80 फीट रखा जावे।
(2) टाउनशिप पॉलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित् की जावे।
(3) केनाल एवं आवेदित भूमि के मध्य 60 फीट चौड़ा सड़क मालिकाना रखा जाना होगा।
(4) EWS/LIG के भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार किया जाना होगा।
(5) मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान अन्तर्गत 10 प्रतिशत विक्रय योग्य आवासीय क्षेत्रफल के EWS/LIG समतुल्य के भूखण्डो का प्रावधान रखा जावे।
(6) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत् टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकनीकी प्रस्तुत करने होगे एवं तकनीकी का स्वीकृति की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
(7) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
(8) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।

03/02/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट :-
योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं0 98 से 127, E-26 एवम् E-27 कुल भूखण्ड 32 क्षेत्रफल 42827 वर्गमीटर आरक्षित किये गये है, जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रख रखे जाने हेतु मॉनेज डीड संपादित करावें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG./SURVEYOR
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.

SIGNATURE
OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS